

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. कैलाशचन्द पुत्र श्री प्रभातीलाल जाति जाट तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

- वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 586/2025

जीसीएमएस नं0 2025/1150



आदेश

दिनांक - 11/09/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम नापावली तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 152, 2 में दर्ज खातेदार "झीमो देवी पत्नि प्रभात" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "झिनकोरी पत्नि प्रभातीलाल" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



  
(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना  
राजवीर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (राज.)  


राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. कैलाशचन्द पुत्र श्री प्रभातीलाल जाति जाट तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

– वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 586/2025

जीसीएमएस नं0


आदेश

दिनांक - 11/09/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम नापावली तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 152, 2 में दर्ज खातेदार "झीमो देवी पत्नि प्रभात" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "झिनकोरी पत्नि प्रभातीलाल" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



  
(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना  
राजवीर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)